न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–276 / 2014 / दावा

1. रिछपाल सिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. रामकृष्ण सिंह पुत्र स्व. श्री बने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. विक्रमादित्य सिंह शेखावत पुत्र भागीरथ सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी राजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः
1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02-11.2020

1. वाद में वादीगण का कथन व वादसार इस प्रकार है कि श्रीमति इन्द्र कंवर बेवा स्व. बच्चन सिंह निवासी ग्राम राजपुरा पंचायत विराना का ला औलाद स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान सजरा खानदान अनुसार है। इन्द्रकंवर का देहान्त दिनांक 22.05.1998 को ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ में स्वर्गवास हो गया था जिनके वारिसान में स्व. श्री फूलसिंह व स्व. श्री रावतसिंह के वंशज है जिनका सजरा खानदान संलग्न है। स्व. श्रीमति इन्द्र कंवर बेवा स्व. बच्चनसिंह की खसरा नम्बर 589, 1139 किता 2 कुल रकबा 5.36 हैक्टर है जिस पर स्व. श्रीमति इन्द्र कंवर के सजरा खानदान अनुसार सभी वारिशान मनबट के आधार पर काबिज है व उसके स्वर्गवास के बाद सें ही काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमियों बाबत फौत का नामांतकरण खुलवाने हेतु पंचायत व तहसील स्तर पर काफी कोशिश की गई लेकिन उन्होने न तो नामंतकरण खोला और न ही राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

इसलिए दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर श्रीमति स्व. इन्द्र कंवर बेवा स्व. बच्चन सिंह की भूमि खसरा नम्बर 589, 1139 किता 2 कुल रकबा 5.36 हैक्टर का उनका वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे एवं उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रदर्श संख्या 1 लगायत 14 कायम किये गये। वादपत्र पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वाद में साक्ष्य गवाहानों के कथन अनुसार वाद वादीगण डिक्री होने योग्य है। वाद के मुताबिक श्रीमति इन्द्र कंवर पत्नि स्व. श्री बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत भीराणा का नाऔलाद स्वर्गवास हो गया। कानून मुताबिक जिनके नजदीकी वारिसान रिछपाल पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ तथा रामकृष्ण सिंह पुत्र स्व. बने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ व विक्रमादित्य सिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर है। वाद में वारिसान सूची व साक्ष्य के मुताबिक श्रीमति इन्द्रकंवर पत्नि स्व. श्री बच्चनसिंह नाऔलाद के नजदीकी वारिसान वादीगण ही प्रतीत होते है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण सजरा खानदान के मुताबिक श्रीमति इन्द्र कंवर बेवा स्वर्गीय श्री बच्चनसिंह की भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

589, 1139 किता 2 कुल रकबा 5.36 हैक्टर के अनुसार नजदीकी वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वादीगण का नाम वाद निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक02.11 .2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रिछपालसिंह आदि बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं0 148/दावा सन् 2018 निर्णय दिनांक.02.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री भंवरसिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 589, 1139 किता 2 कुल रकबा 5.36 हैक्टर वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार इन्द्रकंवर का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमियों में खातेदार इन्द्रकंवर बेवा स्व. बच्चनसिंह के सभी वारिसान की सजरा खानदान के अनुसार जांच कर नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख02.11.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

अशोक कुमार
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़